न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर

पीठासीन अधिकारी देवेन्द्र सिंह चौहान आर0ए0एस

मुकदमा नं0 55/2024

रामकिशन जाट पुत्र श्री सुवाराम जाट जाति जाट निवासी चिलावरीयां की ढाणी जोबनेर तह0 जोबनेर जिला जयपुर

वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये–तहसीलदार तहसील जोबनेर।

प्रतिवादी

वाद बाबत घोषणा खातेदारी नाम दुरूस्ती

<u>अंतर्गत धारा 88 रा0टी0ऐ0</u>

उपस्थित :– 1. श्री बबलु कुमावत अधिवक्ता वादी
2. सरकार पैरोकार

दिनांक :– 09/05/2025

निर्णय

वादी द्वारा वाद बाबत घोषणा खातेदारी एवं दुरूस्ती इन्द्राज अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0ए0 इस आशय का पेश किया गया है कि आराजी ख0न0 143 रकबा 0.1012 हे0, ख0न0 247/143 रकबा 0.0126 हे0 कुल किता 2 रकबा 0.1138 हे0 तथा खसरा नंबर 141 रकबा 0.8259 हे0 वाकै ग्राम चिरनोटिया तह0 जोबनेर, जिला जयपुर मे स्थित है। जिसमे वादी राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार खातेदार है। जिस पर वादी काबिज होकर काश्त कर रहा है।

वादी ने बैंक से ऋण लेने हेतु अपनी खातेदारी की जमाबन्दी, गिरदावरी, नक्शा, तहसीलदार प्रमाण पत्र आदि बनाकर बैंक में ऋण के लिए सम्पर्क किया तव वादी को बैंक वालो ने राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुये राजस्व रिकार्ड के बारे मे बताया कि आप रामकिशन की फाईल तैयार करवा रहे हो जबकि राजस्व रिकार्ड में आपका नाम राधाकिशन दर्ज है। और वादी को अपने कागजात दुरूस्त करवाने को कहां तव वादी को उक्त वाद मान्य न्यायालय में पेश करने की आवश्यकता महसूस हुई। वादी ग्रामीण परिवेश का अनपढ वृद्ध व्यक्ति है वादी को नाम में अशुद्धि की कोई जानकारी नहीं थी। वादी का परिवार में वास्तविक नाम रामकिशन था परन्तु वढे वुजुर्ग मौखिक रूप से राधा किशन बाले दिया करते थे उसी तरिके से वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में वोलचाल से दर्ज हो गया। जबकि वादी का वास्तविक नाम रामकिशन है। जो वादी के सभी दस्तावेज यथा आधार कार्ड, पहचान पत्र, बैंक खाता, राशन कार्ड सभी में रामकिशन ही है। इस संबंध में वादी द्वारा अपनी

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

जमाबन्दी दस्तावेज आदि लेकर तहसीलदार जोबनेर से रिकार्ड दुरूस्ती करने के लिए आग्रह किया तो उन्होने न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने की हिदायत दी, वादी के राजस्व रिकार्ड में अशुद्धि होने के कारण वादी को काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है बैंक ऋण इत्यादि लेकर खेत को उपजाऊ करने से वंचित हो गया। अपने अधिकारो की सुरक्षा एवं राजस्व रिकार्ड की शुद्धि के लिए वाद पेश किया जा रहा है।

राधाकिशन वादी का बोलचाल का नाम है एवं वादी का वास्तविक नाम रामकिशन है। दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है। इस परिवार में राधाकिशन नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। अतः वादी का वाद बाबत घोषणा खातेदारी दुरूस्ती नाम इन्द्राज इस आशय का डिक्री फरमाया जाकर आराजी ख0न0 143 रकबा 0.1012 हे0, ख0न0 247 / 143 रकबा 0.0126 हे0 कुल किता 2 रकबा 0.1138 हे0 तथा खसरा नंबर 141 रकबा 0.8259 हे0 वाकै ग्राम चिरनोटिया तह0 जोबनेर जिला जयपुर मे दर्ज वादी के नाम राधाकिशन को हजब कर एक ही व्यक्ति होने से रामकिशन को खातेदार घोषित किया जाकर इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती की घोषणा की जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 तहसीलदार जोबनेर ने दिनांक 20 / 12 / 2025 को जवाब तथा फर्द मौका रिपोर्ट इस आशय की वादी के नाम खातेदारी भूमि खसरा नंबर 143 रकबा 0.1012 हे0, ख0नं0 247 / 143 रकबा 0.0126 हे0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.1138 हे0 में हिस्सा 1 / 2 तथा खसरा नंबर 141 रकबा 0.8259 हे0 में हिस्सा पूर्ण ग्राम चिरनोटिया पटवार हल्का मुरलीपुरा में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रार्थी का खसरा नंबर 143, 247 / 143 व 141 में राधाकिशन पुत्र सुवा नाम जरिये विक्रय पत्र से नामान्तकरण संख्या 78 से आया है तथा रामकिशन पुत्र सुवा नाम विरासत नामान्तकरण संख्या 304 से आया है। उक्त दोनो व्यक्ति रामकिशन पुत्र सुवा व राधाकिशन पुत्र सुवा दोनो एक ही व्यक्ति है। मौके पर उपस्थित मौतबिरान से जानकारी करने पर बताया गया की राधाकिशन पुत्र सुवा व रामकिशन पुत्र सुवा एक ही व्यक्ति है। रामकिशन को ही बचपन में व बोलचाल की भाषा में राधाकिशन बुलाया करते थे जबकि उनके वॉअर आई डी, आधार कार्ड व अन्य दस्तावेज में नाम रामकिशन ही है।

बहस वकील वादी सुनी गई। वकील वादीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराया है। तथा वादीगण का वाद मुताबिक वादपत्र डिक्री फरमाने हेतु निवेदन किया।

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

हमने वकील वादी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड, जबाब तहसीलदार एवं फर्द मौका रिपोर्ट का गहनता से अध्ययन किया। आराजी ख0न0 143 रकबा 0.1012 हे0, ख0न0 247/143 रकबा 0.0126 हे0 कुल किता 2 रकबा 0.1138 हे0 तथा खसरा नंबर 141 रकबा 0.8259 हे0 वाकै ग्राम चिरनोटिया तह0 जोबनेर में स्थित है। जिसमें वादी का राजस्व रिकॉर्ड अनुसार हिस्सा दर्ज है। राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम राधाकिशन पुत्र सुवा दर्ज है। जबकि अन्य दस्तावेज यथा आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस एवं निर्वाचन पहचान पत्र में वादी का नाम रामकिशन पुत्र सुवा दर्ज है। राजस्व रिकार्ड में गलत नाम दर्ज होने के कारण वादी को सुविधाओं से वंचित रहना पड रहा है। जिसे शुद्ध किया जाना उचित है। अतः वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0ए0 स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0ए0 स्वीकार किया जाता है। वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड आराजी ख0न0 143 रकबा 0.1012 हे0, ख0न0 247/143 रकबा 0.0126 हे0 कुल किता 2 रकबा 0.1138 हे0 तथा खसरा नंबर 141 रकबा 0.8259 हे0 वाकै ग्राम चिरनोटिया तह0 जोबनेर में राधाकिशन पुत्र सुवा के स्थान पर रामकिशन पुत्र सुवा दर्ज किया जावे। शेष इन्द्राज यथावत रहेगें।

निर्णय आज दिनांक 09/05/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(देवेन्द्र सिंह चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जोबनेर, जिला-जयपुर